# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 20/2018** **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. मुन्शी पुत्र जगमाल जाति मेव निवासी ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0,

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री सुनील यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :– 25.11.2019**

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 04.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दि0 09.09.2016 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ की सरकारी बारानी–3 आराजी खसरा नंबर 42 रकबा 0.50 है0 में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील में तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा बहस पर मनन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09.09.2016 को यथावत रखते हुये दिनांक 04.05.2017 को अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 04.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ की सरकारी बारानी–3 आराजी खसरा नंबर 42 रकबा 0.50 है0 में से 0.50 है0 पर अपीलांटान का कब्जा होना जाहिर किया है जबकि अपीलांट को इस संदर्भ में कभी कोई नोटिस नही दिया गया तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा विधिक प्रकिया का पालन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण अपीलांट ने नही किया यानि पूर्व में अपीलांट को बेदखल नही किया गया है। तहसीलदार रामगढ ने मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नही किया ना ही पटवारी हलका के कोई बयान करवाये तथा ना ही भू अभिलेख निरीक्षक के बयान कराये। चूंकि विवादित आराजी काफी बडा रकबा है जिसमें से 0.50 है0 रकबे पर पटवारी हलका द्वारा अतिक्रमण अपीलांट द्वारा करना बताया है वह बिना पैमाइश के साबित नही हो सकता है कि किस तरफ कितने रकबे पर अपीलांट का कब्जा है और कब्जा है भी या नहीं। माननीय राजस्व मंडल की अनेक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां पटवारी हलका ने बडे रकबे में से किसी अतिक्रमी द्वारा छोटा रकबा में अतिक्रमण किया हुआ बताया है और उसकी पैमाइश करके पहचान नही करवाई गई है तो ऐसी रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय न्यायोचित नही है और ऐसा निर्णय निरस्त फरमाया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी सरकार की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 09.09.2016 को यथावत रखते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

अपीलांट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि उनके द्धारा विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा पर किया गया निर्णय निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 04.05.2017 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 09.09.2016 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25-11-19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर